

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/डीपीसी/प्रभाग 2/रियू प्रधानाचार्य/ 2020-2021 (चयन) दिनांक 09.12.2022 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24(2) (ए) के प्राधानान्तर्गत वर्ष 2020-21 की प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की पूर्व डीपीसी की बैठक की अनुशासकों के पुनर्विलोकन हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 01.12.2022 के द्वारा की गई अनुशासनानुसार शिक्षा सेवा के अभ्यर्थियों को उनके प्रवर्ग से सह-योग्यता के आधार पर चयनित किया गया।

उक्त आदेश दिनांक 09.12.2022 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित निम्नांकित अधिकारी अपने पृथक से आदेश जारी होने तक उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं।

क्र.सं.	परिष्ठाता क्रमांक		परिष्ठाता वर्ष	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	लिंग	वर्ग	विषय	चयन वर्ग	चयन तिथि
1	218	3	2006-07	Narindra Kumar Gautam	09-03-1964	M		POLSC	UR	01-04-2020
2	313	0	2007-08	Rajesh kumar	25-05-1967	M	SC	CHE	UR	01-04-2020
3	381	0	2007-08	Kirti Jain	28-07-1980	F		HINIDI	URF	01-04-2020
4	574	1	2010-11	Bimlesh Kumar	01-07-1972	F		HSC	URF	01-04-2020
5	902	0	2011-12	Shiva	24-12-1980	F	ST	ENG	STM	23-09-2020
6	928	1	2011-12	Sheela Meena	18-05-1977	F	ST	POLSC	STM	23-09-2020
7	152	0	2012-13	Narender Kaur	15-06-1963	F		POLSC	UR	23-09-2020
8	221	0	2012-13	Anjani Kumar	04-04-1963	M		HINDI	UR	01-10-2020
9	449	0	2014-15	Kheta Ram	06-07-1966	M	sc		SCM	01-04-2020

उपरोक्त चयनित/पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई ए एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक - 17.04.2023

क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी1-बी2/प्रधानाचार्य/रियू डीपीसी 2020-21/पदस्थापन/2023/

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
9. संबंधित संस्था प्रधान/कार्यिक
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
11. अनुभाग अधिकारी डीपीसी अनुभाग कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्यिक)